फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/23	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 स नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं० 1 को खुले न्यायालय में बार-बार जोर-जोर से आवाजें लगाई गई लेकिन फिर भी असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं। अत: अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। अनुमति दी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि में सिंचाई करने हेतु प.नं. 27/59, 27/58, 27/57 प्रत्येक के खिला नं. 1,10,11,20,21 प.न. 26/64 के खि.नं. 1,10,11,20,21 व प.नं. 26/63 के खिला नं. 20,21 में से पाईप लाईन डालने की स्वीकृति चाहते हैं। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं. 2 ता 9 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपस्थित आकर सहमति भी दी जा चुकी है। इसलिए उक्त भूमि में पाईपलाईन स्वीकृति दिए जाने के आदेश प्रदान करें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-A RTA प्रस्तुत कर निवेदन	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

किया है कि प्रार्थी संख्या 3 की भूमि प.नं. 27/60 के किला नं. 2 में ट्यूबवैल लगा हुआ है। उक्त ट्यूबवैल से प्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि प.नं. 26/54 व 26/55 तक सिंचाई हेतु भूमिगत पाईपलाईन स्वीकृत करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण से जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 2 ता 9 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में स्वयं उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अनुसार पाईपलाईन स्वीकृत करने पर सहमति प्रकट की। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु पाईपलाईन डालने की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत होने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की भूमि तहसील घड़साना के चक 1 GM-A के प.नं. 27/59, 27/58, 27/57, 26/64 प्रत्येक के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व प.नं. 26/63 के किला नं. 20, 21 में भूमिगत पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुआवजे के रूप में तहसीलदार घड़साना पाईपलाईन के उपयोग

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

फर्द अहकाम

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में आने वाली भूमि की डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राशि का वितरण अप्रार्थीगण को करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर नम्बर से कम हो यह आदेश आज दिनांक 09/01/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (अमिता बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	